

(3)

पत्रांक

उत्प्रेक्षित शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद

संख्या में

समित्त
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र 7 समुदाय केन्द्र
पीठि विहार, नयी दिल्ली

Principal
(Geeta Arora)
LDC PUBLIC SCHOOL
22, Milk Stone, Allahabad Pratapgarh Highway,
Sonson Prayagraj

(2)

पत्रांक / शिदिर /

/2011-12

दिनांक 28.06.2012

विषय : एल0डी0सी0 पब्लिक स्कूल इलाहाबाद को सी0वी0एस0ई0 नयी दिल्ली से सम्बद्धता प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 के द्वारा गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति दिनांक 28.06.2012 के आधार पर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कन से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नयी दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

सी0वी0एस0ई0 नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता से युक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे।



शुभ

- 11 सी0डी0ए0सी0 के अनुसार (कर्मचारियों के पदों को खाली करने के लिए) जायेगा।
- 12 छात्र/छात्राओं से भी प्रत्येक विद्यालय में एक ही परिवार का एक ही छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया जायेगा।
- 13 शिक्षण कक्षा/प्रयोगशाला/पुस्तकालय, कक्षालय कक्षा मानक के अनुसार ही रखे जायेंगे।
- 14 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार का एक ही छात्र/छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 15 विद्यालय द्वारा ग्राम समन्वय की भूमि तथा पन्धर, गाँव के तालाब खूँटलान के भी उपयोग नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सरथा के लिए अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता के तहत सरथा के 04 अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखे जायेंगे, सरथा के कर्मचारियों को जो राज्य सरकार से जो काम देते हुए जा रहा उसे पूर्ण किया जाय एवं प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार एवं सगे सम्बन्धी को नहीं रखा जायेगा और यदि किसी समय यह पाया जाय कि सरथा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भददीय

(अमर नाथ वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या/शिविर/ 2766-72 /2011-12 उत्तीर्णियों को
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
2. शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0, शिविर कार्यालय 18 पार्करोड, लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्धक, एल0डी0सी0 पब्लिक स्कूल इलाहाबाद।
6. कार्यालय गार्ड पत्रावली।



Principal
(Geeta Arora)
LDC PUBLIC SCHOOL
73, Main Street, Aligarh District, Uttar Pradesh
Sector Prayagraj

Handwritten signature/initials.

(अमर नाथ वर्मा) 28.6
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद

Att no : 2131512
School code : 70042